न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 11/2023

1. ओम प्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. प्रकाश पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. ग्राम पंचायत दलपतपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर जरिये अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01

निर्णय दिनांकः–

प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर द्वारा निगरानी विरूद्ध निर्णय अपील संख्या 23/2019 निर्णय दिनांक 05.12.2019 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपीलान्ट के ग्राम पंचायत दलपतपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 09.09.2011 ओम प्रकाश पुत्र रामचन्द्र के नाम से जारी पट्टा को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने दिनांक 15.05.2019 को निरस्त किया है, को बहाल करने बाबत निगरानी पेश गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक अपील न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर के समक्ष इस आशय की पेश [illegible] भारत का नागरिक व गांव दलपतपुरा ग्राम पंचायत दलपतपुरा का [illegible] नोहर का स्थाई निवासी है एवं ग्राम पंचायत दलपतपुरा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या [illegible] प्रकाश के पक्ष में दिनांक 09.09.2011 को जारी पट्टा को खारिज करने हेतु अपीलार्थी की तरफ से अपील दफा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र के साथ अपीलाधीन पट्टा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद होना कथन करते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

की अपेक्षित अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दलपतपुरा के वार्ड नं. 01 में जोहड़ पायतन की सार्वजनिक जगह स्थित है, जहां बरसात का पानी व गांव का पानी इक्ट्ठा होता रहता है। दिनांक 25.08.2019 को अपीलार्थी संख्या 1 ओम प्रकाश उक्त जोहड़ की जगह पर ठान व कुई का निर्माण कर कब्जा करने लगा तो प्रार्थी व ग्रामवासियो ने उसे मना किया तो ओम प्रकाश ने कहा कि उक्त जगह पर निर्माण करेगा व कहा कि उसने उक्त जगह का पट्टा जारी करवा रखा है। ग्राम पंचायत दलपतपुरा से ऐसे पट्टा की दिनांक 26.08.2019 नकल प्राप्त होने पर पता चला कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ओम प्रकाश ने दिनांक 09.09. 2011 को 30 X 29–1/2 फुट क्षेत्र का पट्टा बनवा रखा है। दिनांक 26.08.2019 को पट्टा की नकल मिलने पर अपीलाधीन पट्टा की जानकारी होना व दफा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र के साथ अपीलाधीन पट्टा की जानकारी होना व जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करना कथन करते हुए अपीलाधीन पट्टा खारिज करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत अपील दर्ज की गई अपीलार्थी द्वारा अपील के समर्थन अपना शपथ–पत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 ओम प्रकाश द्वारा जवाब अपील व पट्टा संख्या 18 व रसीद संख्या 020 दिनांक 09.09.2011 की प्रति पेश की गई। पक्षकारान को सुनवाई नोटिस पेश किये गये। पक्षकारान उपस्थित आये पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। विवादित स्थल का मौका मुआयना करवाया गया। अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत जारीशुदा है। ऐसा पट्टा बहुत पुराने समय से कब्जा शुदा व मकान निर्माण कर रिहायश भूखण्ड का ही जारी किया जा सकता है। अपीलाधीन पट्टाशुदा भूखण्ड पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ओम प्रकाश कभी काबिज नहीं रहा है तथा ना ही उसके द्वारा उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण कर कभी रिहायश किया है। अपीलाधीन पट्टा जोहड़ की जल आगमन जगह का पट्टा जारी किया गया है। अपीलाधीन पट्टा की आड़ में प्रत्यर्थी संख्या 1 ओम प्रकाश उक्त भूखण्ड पर मिट्टा डालकर करने व मकान निर्माण करने पर आमादा है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो जोहड़ के जल आगमन की जगह अवरूद्ध हो जायेगी तथा गांव व बरसात का पानी व गलियों में फैल जायेगा तथा अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलाधीन पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित जारी किया गया है जो कि अवैध घोषित किया जावे। प्रत्यर्थी संख्या 1 ओम प्रकाश ने जवाब अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए व अपीलार्थी द्वारा किये गये कथन का खंटन करते हुए कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:24:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

किया किया उसका पट्टा संख्या 18 बुक संख्या 03 संकल्प संख्या 03 रसीद संख्या 020 मे तहत प्रस्ताव दिनांक 20.06.2011 की अनुपालना में दिनांक 09.09.2011 को उसके नाम से नियम अनुसार पट्टा जारी किया गया है जिसमें अपील अपीलार्थी खारीज करने व दिनांक 09.09.2011 को अपने पक्ष में जारी पट्टा को बहाल रखने के लिए निवेदन किया । उक्त तथ्यों के आधार पर माननीय सदस्यगण का विनम्र मत है कि अपीलाधीन पट्टा जोहड़ पायतन की जगह का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के प्रावधानों के विपरित नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है जो खारीज किया जावे। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05.12.2019 को प्रस्ताव संख्या 1 (ष्ष्) द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया कि निर्णय अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है व प्रत्यर्थी संख्या 1 ओम प्रकाश के पक्ष में दिनांक 09.09.2011 को जारी पट्टा खारीज किया जाता है।

2. अपीलान्ट गांव का भोला भाला व्यक्ति है जिसको मात्हत अदलात ने निर्णय से पूर्व सूचना नहीं दी कि कब निर्णय किया जायेगा तथा अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति नोहर द्वारा निर्णय के वक्त सूचना देनी चाहिये थी परन्तु निर्णय से से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा निर्णय से पूर्व पत्रावली के फर्दह काम पर समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर करवाने अनिवार्य है जो कि मातहत अदालत द्वारा नहीं करवाये गये है तथा बिना कोई सूचना के निर्णय पारित करके मातहत अदालत ने पत्रावली छुपाकर अपने पास रखली । अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान जब पहली बार हुआ तो वह अपने पुराने रिहायशी मकान पट्टा संख्या 18 पर दिनांक 05.10.2023 को अपना नवनिर्माण कर रहा था तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने कहा कि तुम जहां निर्माण कर रहे हो वह जगह अब तुम्हारी नहीं रही है मैने मेरे राजनैनित दवाब व पंचायत समिति प्रधान से सांठगाठ करके तेरा पट्टा संख्या 18 को निरस्त करवा दिया है अगर तुम यहां पर निर्माण करोगे तो वह भी तुड़वा दूंगा तब अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 09.10.2023 को नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता के मेहनताने की व्यवस्था कर बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की जा रही है व अपीलान्ट अनपढ़ व्यक्ति है जिसको कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है तथा ज्ञान के अभाव में भी निगरानी अन्दर मियाद है।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा पारित निर्णय दिनांक [illegible].2019 विधि विरूद्ध व अनुचित होने व पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने के कारण कार्यालय पंचायत समिति नोहर का आदेश निम्न आधारों पर खारीज योग्य है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:24:28 IST
Reason: Self Attested

(क) अपीलान्ट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 बुक संख्या 03 संकल्प संख्या 03 रसीद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 020 प्रस्ताव दिनांक 20.06.2011 की अनुपालना में दिनांक 09.09.2011 को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत दलपतपुरा द्वारा पट्टा जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट आज भी अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पक्ष में जारी पट्टा कानूनन जारी किया गया है इसलिए दिनांक 05.12.2019 को जारी निर्णय निरस्त योग्य है।

(ख) मातहत अदालत द्वारा बिना किसी रिपोर्ट व बिना किसी दस्तावेजों का अवलोकन किये दस्तावेजों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध है जो कि निरस्त योग्य है।

(ग) अपीलाधीन निर्णय बिना किसी दस्तावेजों के तथा बिना किसी साक्ष्य सबूतो का अवलोकन किये विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध पारित किया गया है जो कि काबिले खारीज है।

(घ) नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 में स्पष्ट प्रावधान है कि पुराने घरों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी किया जा सकता है जिसके अनुसार ही पंचायत ने मौका निरिक्षण कर व मौका रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 09.09.2011 को पट्टा संख्या 18 अपीलान्ट के पक्ष में जारी किया गया है जिसको कानूनन बिना कोई साक्ष्य के निरस्त नहीं किया जा सकता है मात्हत अदालत द्वारा जारी निर्णय निरस्त योग्य है।

(ङ) अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय ना तो अपीलान्ट को सुना गया व न ही किसी प्रकार की मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये व दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये केवल राजनैतिक दवाब व प्रभाव में आकर निर्णय पारित किया गया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

(च) यह कि मात्हत अदालत ने निगरानीधीन निर्णय पारित करते समय ग्राम पंयायत का रिकार्ड तलब नहीं किया तथा पट्टा जारी सम्बन्धित अनियमितता की जांच नहीं की मात्र पट्टे पर दर्ज तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया की पालना करना नहीं माना जा सकता है। रिकार्ड को तलब करे रिकार्ड का अवलोकन करना चाहिये था जबकि निगरानीधनी निर्णय में कहीं [illegible] नहीं किया गया कि रिकार्ड तलब करके जांच की गई। मातहत अदालत [illegible] निर्णय एक पक्षीय मनमाने तौर पर विधि की अवलेहना में पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:24:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 05.12.2019 अपील संख्या 23/2019 को निरस्त कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (हनुमानगढ़)

ग्राम पंचायत दलपतपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 09.09.2011 को बहाल रखा जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी–02 रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी संख्या–02 अधीनस्थ न्यायालय से निगरानीधीन निर्णय की पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत दलपतपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 09.09.2011 को जोहड़ पायतन की जगह पर जारी पट्टा को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के प्रावधानों के विपरति मानते हुये खारिज किया गया है लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टा संख्या 18 की जगह खसरा नं0 388 में स्थित है एंव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन आबादी दर्ज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2019 को अपास्त किया जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अंकन किया कि दिनांक 05.12.2019 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी पट्टा संख्या–18 दिनांक 09.09.2011 जोहड़ पायतन की जगह पर जारी किया गया लेकिन पत्रावली में पट्टा संख्या–18 की भूमि जोहड़ पायतन की है, इसका कोई दस्तावेज संलंग्न नहीं है। मौका निरिक्षण कमेटी की रिपोर्ट भी संलग्न नहीं है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:24:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त जगह/भूखण्ड की मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा द्वारा कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर से प्राप्त की गई। कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर के पत्रांक रीडर/2024/597 दिनांक 16.12.2024 की मौका रिपोर्ट के अनुसार–" प्रार्थी औमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट मौके पर ग्राम पंचायत दलपतपुरा के खसरा नं0 388 में स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नं0 388 गैर मुमकीन आबादी दर्ज है"।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 11/2023 अनवान औमप्रकाश बनाम प्रकाश आदि

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 05.12.2019 को निर्णय पारित करनें में त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2019 को अपास्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 30/6/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:24:28 IST
Reason: SelfAttested